दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित:11.11.2013
निर्णित:20.11.2013

<u>सि.वा.(मू.प.) 491/2008 में अं.आ. सं. 11837/2013 (सि.प्र.सं. की धारा 24 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत)</u>

डॉ. (श्रीमती) प्रमिला श्रीवास्तव ..... वादी

द्वारा: श्री संजीव काकड़ा, सुश्री वैशाली काकड़ा व श्री इरफान अहमद अधिवक्तागण

बनाम

श्रीमती आशा श्रीवास्तव व अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: प्र.1,2,3 व 5 हेतु श्री संदीप पी. अग्रवाल, श्री जीवेश नागरथ और श्री नीतेश के. शर्मा, अधिवक्तागण के साथ प्र.2 स्वयं

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ

<u>जयंत नाथ, न्या.</u>

<u>अं.आ. 11837/2013 सि.प्र.सं. की धारा 24 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत)</u>

1. यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत वादी द्वारा दायर एक आवेदन है, जिसमें वर्तमान वाद को वसीयती मामला संख्या 89/2008 जिसका शीर्षक "गौतम श्रीवास्तव बनाम राज्य व अन्य" है, के साथ समेकित करने की मांग की गई है। वादी का तर्क है कि वर्तमान वाद के पक्षकार पूर्वोक्त प्रोबेट कार्यवाही के भी पक्षकार हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने 26.04.2005 की वसीयत पर भरोसा किया है, जिसे कथित तौर पर स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा निष्पादित किया गया था। इसलिए, यह कहा गया है कि स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा निष्पादित उक्त वसीयत वास्तविक और वैध वसीयत है या नहीं और स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की अंतिम वसीयत वर्तमान वाद और प्रोबेट कार्यवाही के निपटान के लिए प्रासंगिक है। इसलिए समेकन के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।

2. वर्तमान वाद विभाजन, पृथक कब्जे का आदेश तथा आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस एचयूएफ की संपत्तियों का सही और पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की मांग को लेकर दायर किया गया है। विवाद स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की संपत्ति से संबंधित है, जिन्होंने दो बार विवाह किया था। वादी स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की पहली पत्नी से पूर्व-मृत पुत्र की विधवा है। प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की विधवा और दूसरी पत्नी है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 प्रतिवादी संख्या 1 और स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव के बच्चे हैं।

3. प्रोबेट केस परीक्षण मामला संख्या 89/2008 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा श्री आर.पी. श्रीवास्तव की दिनांक 26.4.2005 की वसीयत के निष्पादक के रूप में दायर किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि संपूर्ण संपत्ति स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत की गई थी।

4. यह उल्लेखनीय है कि वादी ने पहले भी इसी तरह का आवेदन दायर किया था, जिसका नाम अं.आ. संख्या 10410/2012 था। इस आवेदन को इस न्यायालय ने 25.09.2012 को स्वीकार कर लिया था और यह देखा गया कि यदि प्रोबेट याचिका को वर्तमान मुकदमे के साथ आजमाया जाता है तो प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा और उक्त मामलों को समेकित करने का निर्देश दिया गया |

5. दिनांक 25.09.2012 के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादियों ने आ.प्र.अ.(मू.प.) संख्या 587/2012 दायर की थी। दिनांक 25.09.2012 के उक्त आदेश को 07.12.2012 को खंडपीठ द्वारा रोक दिया गया था। 29.01.2013 को अपील स्वीकार की गई और अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया गया। 14.03.2013 को वादी ने यह तर्क दिया कि वह दो मामलों को एकीकृत करने के लिए अं.आ. संख्या 10410/2012 में की गई प्रार्थना को वापस लेना चाहता है और स्वतंत्रता चाहता है कि यदि वर्तमान मुकदमा शीघ्र सुनवाई के लिए आता है, तो वह उचित निर्देशों के लिए एकल न्यायाधीश के पास जाने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है

> "प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से कहा कि दोनों कार्यवाहियों के चरणों के भिन्न होने को ध्यान में रखते हुए, वह दोनों मामलों के एकीकरण के लिए अं.आ. संख्या 10410/2012 में की गई प्रार्थना को वापस लेना चाहते हैं, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25.09.2012 के विवादित आदेश के तहत अनुमति दी है। हालांकि, वह स्वतंत्रता चाहते हैं कि यदि वह अपने विभाजन के वाद को सुनवाई के लिए शीघ्रता से लाने में सक्षम हैं और इस बीच प्रोबेट कार्यवाही का चरण ऐसा है कि इसकी सुनवाई में देरी नहीं होगी, तो उन्हें उचित निर्देशों के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता होगी। दूसरी प्रार्थना जो उन्होंने की है वह यह है कि अपीलार्थी को सि.वा.(मू.प.) संख्या 491/2008 में भी देरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।"

6. वर्तमान आवेदन खंडपीठ द्वारा दी गई उक्त स्वतंत्रता के को ध्यान में रखते हुए दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि चूंकि अब दोनों कार्यवाही एक ही चरण में हैं, इसलिए यदि उन्हें एकीकृत किया जाता है, तो दोनों में से किसी भी मामले की सुनवाई में कोई देरी नहीं होगी।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रोबेट मामले में याचिकाकर्ता है, ने प्रोबेट मामले में 20 साक्षी की सूची दाखिल की है। उक्त प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 5 के साथ मिलकर वर्तमान वाद में 38 गवाहों की सूची दाखिल की है। यह तर्क दिया गया है कि दोनों पक्षों के मध्य 34 साक्षी हैं जो कि वर्तमान वाद और प्रोबेट कार्यवाही में समान हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि इससे पहले जब खंड पीठ ने मामले को अपने अभिग्रहण में लिया गया था, तब वर्तमान

वाद में मुद्दे तय नहीं किए गए थे। अब, यह कहा गया है कि 19.07.2013 को न्यायालय द्वारा मुद्दे तय किए गए थे। साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायालय आयुक्त श्री एस.एम.चोपड़ा, सेवानिवृत्त एडीजे को नियुक्त किया गया है। वही न्यायालय आयुक्त प्रोबेट कार्यवाही में साक्ष्य दर्ज कर रहे हैं। आगे यह भी आग्रह किया गया है कि प्रोबेट कार्यवाही में, अभी तक याचिकाकर्ता (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) के केवल पहले साक्षी से ही प्रतिपरीक्षा की जा रही है। इसलिए, यह कहा गया है कि खंड पीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में, वर्तमान वाद और प्रोबेट कार्यवाही लगभग परीक्षण के एक ही चरण में हैं और इसलिए, वर्तमान आवेदन दायर किया गया है जिसमें आग्रह किया गया है कि दोनों मामलों को समेकित किया जाए और एक साथ सुनवाई की जाए। वह ***निर्मला देवी बनाम अरुण कुमार गुप्ता, जेटी 2000 (4) एससी 229*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं कि प्रोबेट याचिका को वाद के साथ जोड़ा जा सकता है।

8. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और 5 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि प्रोबेट याचिका में वसीयत के लाभार्थी, अर्थात् स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की दूसरी पत्नी एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान आवेदन केवल पूरी कार्यवाही में देरी करने का एक प्रयास है। प्रोबेट याचिका कानून और तथ्यों के सीमित प्रश्न उठाती है, जिनका शीघ्रता से निपटारा किया जा सकता

है। दूसरी ओर, वर्तमान वाद ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं, जिनके लिए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता होगी और प्रोबेट याचिका में कार्यवाही में अनावश्यक रूप से देरी होगी। यह तर्क देने के लिए निम्नलिखित तीन निर्णयों पर भरोसा किया जाता है कि वर्तमान मामले जैसी परिस्थितियों में, न्यायालय सामान्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

(i) संदीप बहल व अन्य बनाम शुभ कुमार रंगे एवं अन्य, अं.आ. संख्या 14577/2011 सि.वा.(मू.प.) 2114/2010 में दिनांक 18.07.2012 को निर्णय दिया गया।

(ii) ठाकुर दास विरमानी व अन्य बनाम श्रीमती राज मिनोचा और अन्य, 84 (2000) डी. एल. टी. 534

(iii) कर्नल सुरेश चंद व अन्य बनाम श्री सतीश दयाल, अं.आ. संख्या सि.वा.(मु.प.)2319/2006 में 11307/2009 का निर्णय 28.01.2010 को लिया गया।

9. यह भी आग्रह किया गया है कि अब तक हुई देरी का एक कारण यह है कि खंड पीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कारण, वादी जानबूझकर प्रोबेट कार्यवाही में प्रतिपरीक्षा में देरी कर रहा है और उसे लम्बा खींच रहा है और कई सुनवाई हुई हैं जहाँ पहले साक्षी की प्रतिपरीक्षा जारी है। यह तर्क दिया गया है कि वादी को अपने दोष का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10. प्रतिउत्तर में, वादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि वर्तमान वाद में उठाए गए मुद्दे प्रोबेट याचिका के साथ काफी हद तक समान हैं। मूल मुद्दा यह है कि क्या स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव ने 26.04.2005 को वसीयत निष्पादित की थी और एकमात्र अन्य मूल मुद्दा यह है कि क्या कथित वसीयत की विषय वस्तु संपत्तियां आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस एचयूएफ का हिस्सा थीं। इसने दृढ़ता से आग्रह किया कि ये दो मूल मुद्दे हैं और जब तक मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं की जाती है, तब तक पक्षों को अनावश्यक खर्च और देरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 34 साक्षी जो समान हैं, उनकी दो बार जांच और प्रतिपरीक्षा करनी होगी। यह दिखाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है कि स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव ने कुछ संपत्तियों को एचयूएफ संपत्तियां बताया था। यह भी आग्रह किया गया है कि वर्तमान वाद समय से पहले दायर किया गया है और यह भी आग्रह किया गया है कि प्रोबेट कार्यवाही में साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने में देरी प्रोबेट याचिका में याचिकाकर्ता के साक्षी द्वारा दिए जा रहे अस्पष्ट और टालमटोल वाले जवाबों के कारण हुई है।

11. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 का संदर्भ दिया जा सकता है जो इस प्रकार है:-

> **24. "स्थानांतरण और निकासी की सामान्य शक्ति** -(1) किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् तथा उनमें से जो सुनवाई की इच्छा रखते हैं, उनकी सुनवाई करने के पश्चात् अथवा बिना किसी नोटिस के स्वप्रेरणा से, उच्च

न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी स्तर पर ऐसा कर सकता है।

(क) अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को स्थानांतरित करना जो उस पर विचार करने या उसका निपटारा करने में सक्षम हो, या

(ख) अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लंबित किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को वापस ले सकता है, और

(i) इसका प्रयास करें या इसका निपटान करें, या

(ii) उसे विचारण या निपटान के लिए अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है जो उस पर विचारण करने या निपटान करने में सक्षम हो; या

(iii) इसे परीक्षण या निपटान के लिए उस न्यायालय में पुनः स्थानांतरित करें जहां से इसे वापस लिया गया था।

(2) जहां कोई वाद या कार्यवाही उपधारा (1) के अधीन अंतरित या वापस ले ली गई है, वहां वह न्यायालय जिसे तत्पश्चात् ऐसे वाद या कार्यवाही का विचारण या निपटान करना है, अंतरण आदेश के मामले में किसी विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, या तो उसका पुनः विचारण कर सकेगा या उस बिंदु से आगे बढ़ सकेगा जिस पर उसे अंतरित या वापस लिया गया था।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए- (क) अतिरिक्त और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीनस्थ माने जाएंगे; (ख) "कार्यवाही" में डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही शामिल है।

(4) इस धारा के अधीन लघु वाद न्यायालय से स्थानांतरित या वापस लिए गए किसी वाद की सुनवाई करने वाला न्यायालय, ऐसे वाद के प्रयोजनों के लिए लघु वाद न्यायालय समझा जाएगा।

(5) इस धारा के अंतर्गत किसी मुकदमे या कार्यवाही को ऐसे न्यायालय से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके पास उस पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***चितिवालसा जूट मिल्स बनाम जेपी रीवा सीमेंट, 2004(3) एससीसी 85*** के पैरा 12 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

> "12. ... दो वाद में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पूर्ण या पर्याप्त समानता दोनों वाद को परीक्षण और निर्णय के लिए समेकित करने में सक्षम बनाती है। पक्षों को दो अलग-अलग परीक्षणों में दो वाद में एक ही या समान दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दो बार पेश करने की आवश्यकता से मुक्ति मिल जाती है। साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद, सामान्य तर्कों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है जिसके बाद एक सामान्य निर्णय होता है।..."

25. वर्तमान मामले में, यहाँ और प्रोबेट कार्यवाही में तैयार किए गए मुद्दों का अवलोकन करने से पता चलता है कि इसमें सम्मिलित मुद्दों में समानता है। वर्तमान वाद में मुद्दे 19.07.2013 को तैयार किए गए थे, जो इस प्रकार हैं

> "1. क्या स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव ने 26.04.2005 की एक विधिमान्य और वैध वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और उसे निष्पादित किया था? यदि हाँ तो इसका प्रभाव क्या होगा। सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी - 1,2,3,5 पर
> 2. क्या वादपत्र के पैरा 8 और 9 में उल्लिखित संपत्तियां स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की स्वअर्जित संपत्तियां थीं? यदि हां तो इसका प्रभाव क्या होगा? सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी - 1, 2, 3, 5 पर

3. क्या वादपत्र के पैरा 8 और 9 में उल्लिखित संपत्तियां "आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस (एचयूएफ)" की संपत्तियां थीं और क्या उन्हें "आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस (एचयूएफ)" के फंड से भी अर्जित किया गया है? यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या होगा? सिद्ध करने का दायित्व वादी

4. वादपत्र के पैरा 8 और 9 में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में वादी किस हिस्से, यदि कोई हो, का हकदार है? सिद्ध करने का दायित्व वादी

5. क्या वादी वादपत्र के पैरा 8 और 9 में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में विभाजन की डिक्री और अलग कब्जे का हकदार है? ओपीपी

6. क्या वादी वादपत्र के पैरा 8 और 9 में उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में विभाजन और पृथक कब्जे के आदेश का हकदार है? सिद्ध करने का दायित्व वादी पर

7. क्या वादी अनिवार्य निषेधाज्ञा के आदेश का हकदार है जैसा कि शिकायत में प्रार्थना की गई है? सिद्ध करने का दायित्व वादी पर

8. क्या वादी वादपत्र में प्रार्थना के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का हकदार है? सिद्ध करने का दायित्व वादी पर

9. क्या स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव और उनके परिवार के बीच आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस (एचयूएफ) नाम से कोई एचयूएफ था, और यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन थे? सिद्ध करने का दायित्व वादी पर

10. क्या वादी ने मुकदमे का कम मूल्यांकन किया है और अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा है? सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पर

11. राहत मिलती है।"

26. प्रोबेट कार्यवाही में निम्नलिखित मुद्दों को उठाया गया थाः-

"1. क्या दिनांक 26.04.2005 की वसीयत स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा विधिवत निष्पादित की गई थी? सिद्ध करने का दायित्व वादी पर

2. क्या स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव दिनांक 26.04.2005 को वसीयत निष्पादित करते समय मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, जैसा कि आपत्तियों में आरोप लगाया गया है? ओपीओ
3. क्या याचिकाकर्ता दिनांक 26.04.2005 की वसीयत की प्रोबेट का हकदार है?"

27. स्पष्ट रूप से, पक्षों के बीच मूल विवाद 26.04.2005 की वसीयत की विधिमान्यता और वैधता के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसे कथित तौर पर स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव द्वारा निष्पादित किया गया था। यह एक सामान्य मुद्दा है जिस पर पक्षों को इस मुकदमे और प्रोबेट याचिका में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

28. ऊपर बताए गए अन्य मुद्दे जो वर्तमान वाद से संबंधित हैं, इस विवाद के इर्द-गिर्द घूमते हैं कि क्या शिकायत में उल्लिखित संपत्तियां स्वर्गीय श्री आर.पी. श्रीवास्तव की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं या आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस (एचयूएफ) का हिस्सा हैं और यदि ऐसा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। भले ही प्रोबेट प्रदान किया गया हो, वसीयत के लाभार्थी को वसीयत के परिणामों का आनंद लेने के लिए, यह मुद्दा कि क्या विचाराधीन संपत्तियां श्री आर.पी. श्रीवास्तव या मेसर्स आर.पी. श्रीवास्तव एंड संस (एचयूएफ) की थीं, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मला देवी बनाम अरुण कुमार गुप्ता एवं अन्य, जे.टी. 2000 (4) एस.सी.229 के मामले में दिए गए निर्णय का

संदर्भ लिया जा सकता है, जिस पर वादी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, जिसमें निम्नलिखित कहा गया हैः

> "4. ... इसलिए, अब यह प्रश्न रह गया है कि क्या प्रोबेट कार्यवाही को मुकदमे के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सिविल मुकदमा वर्ष 1987 का है और उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के बावजूद, यह लंबित रहा है और अपीलकर्ता द्वारा 1984 की वसीयत के संबंध में 1997 में प्रोबेट कार्यवाही शुरू की गई है। जो भी हो, वसीयत के प्रमाण के प्रश्न पर प्रोबेट कार्यवाही में निर्णय का मुकदमे पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। केवल इस संक्षिप्त आधार पर और पक्षों के बीच विवाद के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम गोपालगंज के विद्वान जिला न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि प्रोबेट कार्यवाही को प्रोबेट केस संख्या 11/1997 के साथ-साथ सिविल मुकदमा टी.एस. संख्या 27/1987 के साथ निपटाना सुविधाजनक बनाया जाए....."

30. इसी प्रकार, ***वीरेंद्र गुप्ता बनाम नितेंद्र गुप्ता एवं अन्य, 31(1987) डीएलटी 406*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इस न्यायालय की खंडपीठ ने प्रोबेट कार्यवाही को समेकित करने और खातों के विभाजन एवं प्रतिपादन के लिए वाद का निर्देश दिया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया

> "7. हम पाते हैं कि वाद संख्या 1675/84 में तैयार किए गए मुद्दे सभी पक्षों के बीच संपूर्ण विवाद को कवर करते हैं। हम प्रोबेट याचिका और वाद दोनों को एक साथ सुनवाई करने में कोई कानूनी बाधा नहीं देखते हैं। हम प्रोबेट कार्यवाही में अपील में उठाए गए विवाद को तय करने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं। हम तदनुसार आदेश देते हैं कि वाद संख्या 1675/1984 और प्रोबेट मामला संख्या 46/83 को

एक साथ सुनवाई की जाएगी। साक्ष्य वाद संख्या 1675/1984 में दर्ज किए जाएंगे।"

31. विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह पक्षकारों के हित में होगा कि दोनों मामलों को एक साथ मिलाकर सुना जाए। यह विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि पक्षों के साक्षी की बड़ी संख्या एक ही है और वे वर्तमान वाद में और दोनों मामलों के लिए प्रोबेट याचिका में भी गवाही देंगे। साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए इस न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायालय आयुक्त एक ही है। अलग-अलग सुनवाई का मतलब होगा कि बड़ी संख्या में साक्षी प्रोबेट और इस वाद में दो बार अलग-अलग गवाही देंगे। यह न्यायिक समय की बर्बादी होगी और पक्षों का अनावश्यक खर्च होगा। परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

32. इसके अलावा, पहले चरण में जब इस न्यायालय ने दिनांक 25.09.2012 को आदेश पारित किया था, तब भी वर्तमान वाद अभी भी तर्क के पूरा होने के चरण में था। आज, मुद्दे तय हो गए हैं और मामले को साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायालय आयुक्त को भेज दिया गया है। दूसरी ओर, प्रोबेट याचिका साक्ष्य दर्ज करने के प्रारंभिक चरण में लंबित है क्योंकि पहले गवाह की प्रतिपरीक्षा पूरी नहीं हुई है।

33. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे प्रतिवादी के मामले में कोई मदद नहीं करते हैं। प्रतिवादी की ओर से

पेश हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदीप बहल एवं अन्य बनाम शुभ कुमार रंगे एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले पर भरोसा करना गलत है। उस मामले में, प्रोबेट कार्यवाही अग्रिम चरण में थी और समापन के कगार पर थी, क्योंकि उसमें केवल आपत्तिकर्ताओं के साक्ष्य दर्ज किए जाने बाकी थे, जबकि उसमें याचिकाकर्ता के साक्ष्य पहले ही दर्ज किए जा चुके थे। जिस मुकदमे को समेकित करने की मांग की गई थी, उसमें दस्तावेजों की स्वीकृति/अस्वीकृति भी नहीं हुई थी। यह उन तथ्यों पर था, क्योंकि प्रोबेट कार्यवाही में कार्यवाही अग्रिम चरण में थी, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस न्यायालय को प्रोबेट मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाद के निर्णयों और प्रोबेट मामले के निर्णयों में कोई टकराव न हो।

34. इसी तरह ठाकुर दास विरमानी एवं अन्य बनाम श्रीमती राज मिनोचा एवं अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने केवल यह अभिनिर्धारित किया था कि विभाजन के लिए लंबित मुकदमे के कारण प्रोबेट या प्रशासन के पत्र दिए जाने में कोई बाधा नहीं है। उस मामले में यह न्यायालय प्रशासन के पत्र दिए जाने के आदेश के विरूद्ध अपील पर विचार कर रहा था। इसी संदर्भ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि विभाजन के लिए लंबित मुकदमे के कारण याचिका या प्रशासन के पत्र दिए जाने में कोई बाधा नहीं है। यह मामला दो मामलों के एकीकरण से संबंधित नहीं है।

35. कर्नल सुरेश चंद एवं अन्य बनाम श्री सतीश दयाल (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को देखते हुए वाद और प्रोबेट याचिका को एकीकृत करने से इनकार कर दिया कि साक्ष्य संबंधी मामलों की गवाही कम समय में पूरी की जा सकती है और यदि साक्ष्य संबंधी मामलों को दोनों वाद के साथ जोड़ने की अनुमति दी जाती है, तो साक्ष्य संबंधी मामलों में देरी होगी। यह भी माना गया कि उक्त मुकदमों में साक्ष्य की प्रकृति और मुकदमों में वास्तविक विवाद अलग-अलग हैं। इन आधारों पर न्यायालय ने दोनों वाद को एकीकृत करने से मना कर दिया।

36. उपरोक्त को ध्यान रखते हुए, वर्तमान आवेदन में योग्यता है। इसे स्वीकार किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान वाद की सुनवाई प्रोबेट मामला संख्या 89/2008 के साथ की जाए जो इस उच्च न्यायालय में लंबित है। दोनों मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट आयुक्त द्वारा की जा रही है।

37. वसीयतनामा मामले में साक्ष्य दर्ज करना पहले ही शुरू हो चुका है। पक्षों ने जो भी साक्ष्य पेश किए हैं, उन्हें दोनों मामलों के निपटान के लिए समान माना जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान में वसीयतनामा मामले में साक्ष्य पेश कर रहा है और अपना साक्ष्य पूरा करेगा। इसके बाद अन्य प्रतिवादी और वादी न्यायालय आयुक्त द्वारा तय किए जाने वाले अनुक्रम में अपना साक्ष्य पेश कर सकते हैं।

38. आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है।

<u>सि.वा.(मू.प.) 491/2008 और अं.आ. संख्या 16136/2013 (यू/ओ 7 आर 14 सि.प्र.सं.)</u>

संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष पूर्व निर्धारित तिथि अर्थात 26.11.2013 को सूचीबद्ध करें।

नवंबर 20, 2013/आरबी **जयंत नाथ, न्या.**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*